



Utkarsh Small Finance Bank

Aapki Ummeed Ka Khaata

(A Scheduled Commercial Bank)

TERM DEPOSIT FORM

FOR INDIVIDUAL & NON-INDIVIDUAL EXISTING CUSTOMER

(PLEASE FILL THE FORM IN BLOCK LETTERS ONLY)

FIELDS MARKED* ARE MANDATORY.

Date :

दिनांक :

তারিখ:

A/c. to be opened at:

खाता यहाँ खोला जाना चाहिए:

আাকাউন্ট যে শাখায় খোলা হবে:

Branch Name

शाखा का नाम

শাখার নাম

Branch Code

शाखा कोड

শাখার কোড

Sourcing

Branch Name*

सोर्सिंग शाखा

का नाम*

উত্স শাখার নাম*

Sourcing

Branch Code*

सोर्सिंग शाखा

का कोड*

উত্স শাখার কোড*

Type of A/c* :

Single ☐

Joint ☐

Fixed Deposit ☐

FD Plus ☐

TD Plus ☐

Tax Saver FD ☐

Recurring Deposit ☐

Others ☐

(pls. specify)

खाता का प्रकार* :

एकल ☐

संयुक्त ☐

सावधि जमा ☐

एफडी प्लस ☐

टीडी प्लस ☐

टैक्स सेवर एफडी ☐

आवर्ती जमा ☐

अन्य ☐

(कृपया निर्दिष्ट करें)

आकाउन्टের প্রকৃতি* :

একক ☐

যৌথ ☐

স্থায়ী জমা ☐

এফডি প্লাস ☐

টিডি প্লাস ☐

ট্যাক্স সেভার এফডি ☐

রেকারিং জমা ☐

অন্যান্য ☐

(কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)

A/c Sub-type* :

Normal ☐

Sr. Citizen ☐

(To avail senior citizen rate of interest, ensure your DOB is updated in bank records.)

Staff ☐

Bulk ☐

(Single Rupee term deposits of Rupees two crore and above)

Scheme Code:

खाता उप-प्रकार* :

सामान्य ☐

वरिष्ठ नागरिक ☐

(वरीष्ठ नागरिक दर के लाभ उठाने के लिए, सुनिश्चित करें कि आपकी उमर बैंक रिकॉर्ड में अपडेट की गई है।)

कर्मचारी ☐

बल्क ☐

(एक रुपए की अवधि वाले दो करोड़ रुपये से अधिक के)

योजना कोड:

आकाउन्টের উপ-ধরণ* :

সাধারণ ☐

প্রাথমিক ☐

(প্রাথমিক নাগরিকদের সুদের হার পেতে হলে, আপনার বয়স ব্যাংক রেকর্ডে আপডেট করুন)

কর্ম ☐

বাল্ক ☐

(একককভাবে দু'কোটি অথবা দু'কোটি টাকার বেশি আমদানির জন্যে প্রযোজ্য)

স্কিম কোড:

A) PERSONAL DETAILS*

व्यक्तिगत विवरण*

ব্যক্তিগত বিবরণ*

Primary Holder

प्राथमिक धारक

প্রাথমিক ধারক

TITLE (Mr./Ms./Dr.)

श्री/श्री/डॉ.

টাইটেল (শ্রীমান/শ্রীমতি/ডক্টর)

FULL NAME (Please leave space between words)

पूरा नाम (कृपया शब्दों के बीच जगह छोड़ दें)

সম্পূর্ণ নাম (দুটি শব্দের মাঝে ফাঁক রাখবেন)

CIF ID

सीआईएफ आईडी

সিআইএফ আইডি

Joint Holder 1

संयुक्त धारक 1

যৌথ ধারক ১

TITLE (Mr./Ms./Dr.)

श्री/श्री/डॉ.

টাইটেল (শ্রীমান/শ্রীমতি/ডক্টর)

FULL NAME (Please leave space between words)

पूरा नाम (कृपया शब्दों के बीच जगह छोड़ दें)

সম্পূর্ণ নাম (দুটি শব্দের মাঝে ফাঁক রাখবেন)

CIF ID

सीआईएफ आईडी

সিআইএফ আইডি

Relationship with Primary Holder

प्राथमिक धारक के साथ संबंध

প্রাথমিক ধারকের সঙ্গে সম্পর্ক

Joint Holder 2

संयुक्त धारक 2

যৌথ ধারক ২

TITLE (Mr./Ms./Dr.)

श्री/श्री/डॉ.

টাইটেল (শ্রীমান/শ্রীমতি/ডক্টর)

FULL NAME (Please leave space between words)

पूरा नाम (कृपया शब्दों के बीच जगह छोड़ दें)

সম্পূর্ণ নাম (দুটি শব্দের মাঝে ফাঁক রাখবেন)

CIF ID

सीआईएफ आईडी

সিআইএফ আইডি

Relationship with Primary Holder

प्राथमिक धारक के साथ संबंध

প্রাথমিক ধারকের সঙ্গে সম্পর্ক

Joint Holder 3

संयुक्त धारक 3

যৌথ ধারক ৩

TITLE (Mr./Ms./Dr.)

श्री/श्री/डॉ.

টাইটেল (শ্রীমান/শ্রীমতি/ডক্টর)

FULL NAME (Please leave space between words)

पूरा नाम (कृपया शब्दों के बीच जगह छोड़ दें)

সম্পূর্ণ নাম (দুটি শব্দের মাঝে ফাঁক রাখবেন)

CIF ID

सीआईएफ आईडी

সিআইএফ আইডি

Relationship with Primary Holder

प्राथमिक धारक के साथ संबंध

প্রাথমিক ধারকের সঙ্গে সম্পর্ক

PAN Number

Only for primary applicant

पैन नंबर

প্যান নম্বর

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

Form 60

Only for primary applicant

फॉर्म 60

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

ফর্ম ৬০

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

केवल प्राथमिक आवेदक के लिए

Yes ☐

हाँ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

হ্যাঁ

No ☐

नहीं

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

না

[illegible]

Nomination under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of bank deposits.

बैंक जमा राशियाँ के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 1985 के नियम 2 (1) के तहत नामांकन।

নমিনেশন ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৯ এর ধারা ৪৫ জেডএ এবং ব্যাংক আমানতের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং কোম্পানি (নমিনেশন) নিয়ম ১৯৮৫ এর নিয়ম ২(১)-এর অধীন।

I / We (Name) _____ (Address) _____

nominate the following person to whom in the event of my / our / minor's death the amount of deposit in the above account, may be returned by UTKARSH SMALL FINANCE BANK.

মैं / हम (नाम) _____ (पता) _____

निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करें जिसे मेरी / हमारी / अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में उपर्युक्त खाते में जमा राशि, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक द्वारा वापस की जा सकती है।

আমি/আমরা (নাম) _____ (ঠিকানা) _____

নিম্নোক্ত ব্যক্তিকে নমিনেট করছি যাকে আমার/আমাদের/নাবালকের মৃত্যু হলে উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে জমা রাশি উত্কর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক দ্বারা ফেরত দেওয়া হবে।

নমিনীর নাবালক হওয়ার দরুন নমিনীর পক্ষ হয়ে আমি/আমাদের/নাবালকের মৃত্যু হলে জমা করা রাশি গ্রহণ করবে।

Witness 1 গবাহ সাক্ষী	1 ১ ১	Place স্থান	Date দিনাংক তারিখ
Name নাম নাম	Signature হস্তাক্ষর হাক্কর		
Address/ পতা/ ঠিকানা			

Witness 2 গবাহ সাক্ষী	2 ২ ২	Place স্থান	Date দিনাংক তারিখ
Name নাম নাম	Signature হস্তাক্ষর হাক্কর		
Address/ পতা/ ঠিকানা			

^ Applicable only if nominee is a minor. ** Where deposit is made in the name of a minor the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

^ কেবল মাত্র লালু হোতা হৈ উহ নামিতী অবস্থক হৌ. ** জহা অবস্থক হৈ নাম পর জমা কিয়া জাত হৈ, নামাংকন কৌ অবস্থক কী আর সে কার্য করনে হৈ লিখি কানুদী রূপ সে হকদার ব্যক্তি দ্বারা হস্তাক্ষরিত কিয়া জমা যাখিহ.

^ প্রযোজ্য কেবলমাত্র মিন অর্ধমৈনিক হন ** যখন নামদারের নামে আমানত জমা করা হবে নমিনেশন সেই ব্যক্তি দ্বারা হাক্করিত হতে হবে যিনি নামদারের পক্ষে হাক্কর করার জন্য আইন দ্বারা অনুমোদিত হবেন।

** Name & Signature of primary holder		
** প্রাথমিক ধারক নাম এবং হস্তাক্ষর		
** প্রাথমিক ধারকের নাম এবং হাক্কর		
Address / পতা / ঠিকানা		
Signature of Joint holder 1 (Wherever applicable)	Signature of Joint holder 2 (Wherever applicable)	Signature of Joint holder 3 (Wherever applicable)
সংযুক্ত ধারক হৈ হস্তাক্ষর 1 (যদি প্রযোজ্য হয়)	সংযুক্ত ধারক হৈ হস্তাক্ষর 2 (যদি প্রযোজ্য হয়)	সংযুক্ত ধারক হৈ হস্তাক্ষর 3 (যদি প্রযোজ্য হয়)
যৌথ ধারক ১-এর হাক্কর (যেখানে প্রযোজ্য)	যৌথ ধারক ২-এর হাক্কর (যেখানে প্রযোজ্য)	যৌথ ধারক ৩-এর হাক্কর (যেখানে প্রযোজ্য)

TERMS & CONDITIONS/ নিয়ম এবং শর্ত/ নিয়ম এবং শর্তাবলীগুলি

“Term deposit” means an interest bearing deposit received by the Bank for a fixed period and shall also include deposits such as Recurring/ Cumulative/ Annuity/ Reinvestment deposits and Cash Certificates. The payment of the maturity of the proceeds will usually be made by credit to the account of the deposit holder or by Demand Draft at the option of the term deposit holder(s). Minimum tenor of the deposit offered is seven days. The payout of interest on Term Deposits under Monthly Interest Certificate scheme, takes place at a discounted rate as prescribed under the IBA guidelines. The payout of interest for Quarterly Interest Certificate is applied on Simple Interest basis. Also for Term Deposits with tenure below 181 days, interest will be calculated on maturity at simple interest. In case of Monthly & Quarterly interest pay-out option, interest credit in the account will be done at Anniversary Month/Quarter (from the Effective Date of opening).

"সাধারণ জমা" কা অর্থ হৈ এক নিশ্চিত অর্থ হৈ লিখি বঁক দ্বারা প্রাপ্ত কিয়া জানে বালা ব্যয়ন বহন করনে বালা জমা আর ইসমে অবর্তী / সংযুক্ত / বার্ষিকী / পুনর্নিবেশ জমা আর নকদ প্রমাণ পর জৈসী জমাএ শামিল হোগী। আয় কী পরিপক্বতা কা ভুগতান আমতীর পর জমা ধারক কে খাতে মে ক্রেডিট দ্বারা যা সাবধি জমা ধারক(কৌ) দ্বারা ঘনন কিএ গএ বিকল্প কে আধার পর ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা কিয়া জাওয়া। দৌ গড়ী জমা রাশি কী ন্যূনতম অর্থ সাত দিন হোতী হৈ। মাসিক ব্যয়ন প্রমাণপত্র যোজনা কে অন্তর্গত সাবধি জমারশিয়ো পর ব্যয়ন কা ভুগতান আইবীএ দিশানির্দেশো কে অন্তর্গত যথা নির্ধারিত রিয়ায়তী দর পর কিয়া জাতা হৈ। তিমাহী ব্যয়ন প্রমাণ পর কে লিখি ব্যয়ন কা ভুগতান সাধারণ ব্যয়ন কে আধার পর লালু কিয়া জাতা হৈ। ইসকে অলাব 181 দিনো সে কম অর্থ বালা সাবধি জমা কে লিখি, ব্যয়ন কা পরিকলন সাধারণ ব্যয়ন পর পরিপক্বতা পর কিয়া জাওয়া। মাসিক আর বৈমাসিক ব্যয়ন ভুগতান বিকল্প কে মামলে মে, খাতে মে ব্যয়ন ক্রেডিট বর্ষমাংদ মহীনে / তিমাহী (খোলনে কী প্রমাণী তারীখ সে) পর কিয়া জাওয়া।

"মেয়াদী আমানত" – এর অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রাপ্ত একটি সুদ বহনকারী আমানত এবং এর সঙ্গে আমানত যেমন রেকারিং/ক্রমবর্ধমান/বার্ষিক/পুনর্নিবেশযোগ্য আমানত এবং ক্যাশ সার্টিফিকেট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আয়ের পরিপক্বতার অর্থ সাধারণত আমানত ধারকের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে প্রদান করা হবে বা মেয়াদী আমানত ধারক(দের) বিকল্পে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে করা হবে। আমানতের প্রস্তাবিত মেয়াদ ন্যূনতম সাত দিন। মাসিক সুদের শংসাপত্র ক্রিশের অধীনে মেয়াদী আমানতের সুদের অর্থ প্রদান, আইবিএ নির্দেশিকা অনুসারে নির্ধারিত ছাড়ের হারে সঞ্চয়িত হয়। বৈমাসিক সুদের শংসাপত্র প্রয়োগের জন্য সরল সুদের ভিত্তিতে সুদের পরিশোধ করা হয়। এছাড়াও ১৮১ দিনের কম মেয়াদের মেয়াদী আমানতের জন্য, পরিপক্বতার উপর সুদ সাধারণ সুদের হারে গণনা করা হবে। মাসিক এবং বৈমাসিক সুদ পরিশোধের বিকল্পে ক্রেডিট, অ্যাকাউন্টে সুদের ক্রেডিট বার্ষিক মাসে/বৈমাসিকের করা হবে (মোলার কার্যকরী তারিখ থেকে)

Premature Encashment: / সময় সে पहले नकदीकरण: / সময়ের পূর্বনগদীকরণ:

- a) Term deposit booked under “Premature withdrawal not allowed” option cannot be withdrawn till maturity.

“সময় পূর্ব নিকাশী কী অনুমতি নহী” বিকল্প কে তহত বুক কী গড়ী সাবধি জমা কৌ পরিপক্বতা তক বাবস নহী লিয়া জা সক্তা হৈ।

“সময়ের পূর্বে প্রত্যাহার অনুমোদিত নয়” বিকল্পের অধীনে বুক করা মেয়াদী আমানত পরিপক্বতা পর্যন্ত তোলা যাবে না।

- b) Premature Withdrawal is not allowed for Non-Callable Deposit before maturity for any whatsoever. However, the bank may allow premature withdrawal of these deposits in following exceptional circumstances: in the event of any direction from any statutory and/or regulatory authority or deceased claim settlement cases.

বঁক কিসী শ্রী পরিস্থিতি মে পরিপক্বতা সে पहले गैर-प्रतिदेय जमा के लिए समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, बैंक निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों में इन जमाओं की समय पूर्व निकासी की अनुमति दे सकता है: किसी भी वैधानिक और / या नियामक प्राधिकरण से कोई भी निर्देश प्राप्त होने पर या मृतक व्यक्ति के दावों का निपटान करने के मामलों में।

যেকোন কিছুর কারণে পরিপক্বতার আগে নন-কলেবল আমানতের জন্য সময়ের পূর্বে প্রত্যাহার অনুমোদিত নয়। যাইহোক, নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্ক এই আমানতগুলির সময়ের পূর্বে প্রত্যাহারের অনুমতি দিতে পারে: কোনো সংবিধিবদ্ধ এবং/অথবা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা মৃত দাবিনিপত্তি মামলার কোনো নির্দেশের ক্ষেত্রে।

- c) In case the term deposit is closed prematurely, before completion of the minimum period of 7 days, no interest shall be paid for the said term deposit.

যদি সাবধি জমা সময় সে पहले, 7 দিনো কী ন্যূনতম অর্থ পূরি হোনে সে पहले बंद हो जाता है, तो उक्त सावधि जमा के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

যোয়াদের আগে মেয়াদী আমানত যদি বন্ধ হয়ে যায়, সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির ন্যূনতম ৭ দিন আগে, তাহলে উক্ত মেয়াদী আমানতের জন্য কোন সুদ প্রদান করা হবে না।

- d) The deposits of the Bank are insured with DICGC and in case of liquidation of the Bank, DICGC is liable to pay each depositor through the liquidator, the amount of his/her deposit upto ₹5 lakh within 2 months from the date of claim list from the liquidator.

বঁক কী জমারশিয়ো কা ডীআইসীজীসী কে সাথ বীমা কিয়া জাতা হৈ আর বঁক কে পরিসমাপন কে মামলে মে ডীআইসীজীসী পরিসমাপক কে মাধ্যম সে দাবা সূচী প্রাপ্ত হোনে কী তারীখ সে 2 মহীনে কে মীতর প্রত্যেক জমাকর্তা কৌ उसकी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

ব্যাঙ্কের আমানতগুলি ডিআইসিগিসি-র কাছে বীমা করা থাকে এবং কোন কারণে ব্যাঙ্কের অবসান হলে, লিকুইডেটর থেকে প্রাপ্ত দাবি তালিকার তারিখ থেকে ২ মাসের মধ্যে পুরুষ/স্ত্রী-র আমানতের পরিমাণ ₹৫ লক্ষ পর্যন্ত ডিআইসিগিসি প্রতিটি আমানতকারীকে লিকুইডেটরের মাধ্যমে পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ থাকে।

- e) In the event of the death of one of the depositor, premature termination and payment of Term Deposits held in 'Either or Survivor' or 'Former or Survivor' or 'Any one or Survivor' basis shall be allowed to survivor/s. Such payment to survivor/s shall give valid discharge to the Bank. Such premature withdrawal shall not attract any penal charge. However, the interest rate shall be the rate applicable for the period the deposit has remained with the Bank or the contracted rate, whichever is lower.

জমাকর্তাओं में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, 'दोनों में से कोई या उत्तरजीवी' या 'पूर्व या उत्तरजीवी' या 'कोई एक या उत्तरजीवी' आधार पर रखी गई सावधि जमाओं की समयपूर्व समाप्ति और भुगतान की अनुमति उत्तरजीवी/उत्तरजीवियों को दी जाएगी। उत्तरजीवी/ उत्तरजीवियों को ऐसा भुगतान करने पर बैंक वैध रूप से अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। इस तरह की समय पूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, जब जमा बैंक के पास रही है उस अवधि के लिए ब्याज दर या अनुबंधित दर, जो भी कम हो, लागू होगी।

আমানতকারীর যেকোন একজনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, 'কোন একজন বা উত্তরজীবী' বা 'প্রাক্তন বা উত্তরজীবী' বা 'যেকোন একজন বা উত্তরজীবী' ভিত্তিতে থাকা মেয়াদী আমানতের অকাল সমাপ্তি এবং অর্থপ্রদানের অনুমতি দেওয়া হবে। উত্তরজীবী/দের এইভাবে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক বৈধভাবে ভারতীয় হবে। এই ধরনের সময়ের পূর্বে প্রত্যাহার কোন দণ্ডনীয় অভিযোগের আওতা়ার আসবে না। যদিও, সুদের হার হবে ব্যাঙ্ক জমা থাকা সময়ের জন্য প্রযোজ্য হার বা চুক্তিবদ্ধ হার, যেটকম হয়।

- f) In case the mode of operation is 'Either or survivor' or 'Former or Survivor' or 'Anyone or Survivor', in the event of the death of one of the deposit holder, premature withdrawal is required by the survivor. In the event of the death of either one of us, the survivor, if he / she so request the Bank, to prematurely withdraw the said deposit without seeking the concurrence of the legal heirs of the deceased joint deposit holder, the Bank is entitled to honour the same.

যদি সংযালন কা तरीका ' दोनों में से कोई या उत्तरजीवी' या 'पूर्व या उत्तरजीवी' या 'कोई भी या उत्तरजीवी' है, तो जमा धारक में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी द्वारा समय से पहले निकासी की आवश्यकता होती है: हम में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, यदि उत्तरजीवी बैंक से मृत संयुक्त जमा धारक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना उक्त जमा राशि को समय से पहले वापस लेने के लिए अनुरोध करता है, तो बैंक इस अनुरोध का सम्मान करने का हकदार है

পরিস্থানের ধরণ যদি 'কোন একজন বা উত্তরজীবী' বা 'প্রাক্তন বা উত্তরজীবী' বা 'যে কোনও একজন বা উত্তরজীবী' হলে, আমানতকারীদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হলে, উত্তরজীবী ব্যক্তির সময়ের পূর্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন: আমাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হলে, জীবিত ব্যক্তি, যদি তিনি ব্যাঙ্ককে এইরকম অনুরোধ করেন, যৌথ আমানতকারীদের মধ্যে যে মৃত, তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের কাছে সম্মতি না নিয়ে, সময়ের পূর্বে উক্ত আমানত প্রত্যাহার করতে চান, ব্যাঙ্ক সেক্ষেত্রে সেটি করতে বাধ্য থাকবে।

We further affirm that payment of the proceeds of such deposit to the survivor represents a valid discharge of the Bank's liability provided. (i) There is no order from a competent court restraining the Bank from making the payment from the said account. (ii) That the survivor would be receiving the payment from the Bank as a trustee of the legal heirs of the deceased depositor and that such payment to him/her shall not affect the right or claim that any person/s may have against the survivor to whom the payment is made.

হম आगे पुष्टि करते हैं कि उत्तरजीवी को ऐसी जमा राशि की प्राप्ति का भुगतान, बैंक की देयता वैध रूप से पूरी किए जाने का प्रतिनिधित्व करता है, बशर्त (i) सक्षम न्यायालय से ऐसा कोई आदेश नहीं है जो बैंक को उक्त खाते से भुगतान करने से रोकता हो। (ii) उत्तरजीवी को बैंक से मृतक जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के न्यासी के रूप में भुगतान प्राप्त होगा और उसे ऐसा भुगतान उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति का उस उत्तरजीवी के विरुद्ध हो सकता है जिसे भुगतान किया गया है। আমরা আরও নিশ্চিত করি যে জীবিত ব্যক্তিকে এই ধরনের আমানতের আয়ের অর্থ প্রদান করে ব্যাঙ্ক প্রদত্ত দায়বদ্ধতার একটি বৈধ নিশ্কাশন গ্রহিত করে। (i) উক্তিস্থিত অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থপ্রদান করার ব্যাপারে ব্যাঙ্ককে নিষেধ করার জন্য উপযুক্ত আদালতের কোনও আদেশ নেই। (ii) জীবিত ব্যক্তি মৃত আমানতকারীর আইনগত উত্তরাধিকারীর ট্রাস্টি হিসাবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অর্থপ্রদান পাবেন এবং জীবিত ব্যক্তিকে এই ধরনের অর্থপ্রদান তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি/দের অধিকার বা দাবিকে প্রভাবিত করবেন না।

- g) Where the deposit is held singly and premature withdrawal is required by the nominee in the event of death of the deposit holder. (i) In the event of my death, the nominee named for the deposit is entitled to prematurely withdraw the said deposit, if he/she so requests the Bank, without seeking the concurrence of my legal heirs. I further affirm that payment of the proceeds of such deposit to the nominee represents a valid discharge of the Bank's liability (ii) That the nominee would be receiving the payment from the Bank as a trustee of the legal heirs of the deceased depositor and that such payment to him/her shall not affect the right or claim that my legal heirs may have against the nominee to whom the payment is made.

জহা জমা রাশি একলে रखी जाती है और जमा धारक की मृत्यु की स्थिति में नामितों द्वारा परिपक्वता से पहले निकासी की आवश्यकता होती है। (i) मेरी मृत्यु की स्थिति में, जमा राशि के लिए नामितों यदि मेरे कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना, बैंक से निकासी अनुरोध करता है, तो वह समय से पहले उक्त जमा राशि वापस लेने का हकदार है। मैं आगे पुष्टि करता हूं कि नामितों को ऐसी जमा राशि की प्राप्ति का भुगतान बैंक की देयता के वैध निर्वहन का प्रतिनिधित्व करता है (ii) कि नामितों मृत जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में बैंक से भुगतान प्राप्त करेगा और उस ऐसा भुगतान उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा जो मेरे कानूनी उत्तराधिकारियों के पास उस नामितों के खिलाफ हो सकता है जिसे भुगतान किया गया है

যে সব ক্ষেত্রে আমানত এককভাবে রাখা হয় এবং আমানতকারীর মৃত্যুর কারণে নামিনী ব্যক্তির দ্বারা সময়ের পূর্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন হয়। (i) আমার মৃত্যুর হলে, আমানতের জন্য নামকৃত মনোনীত ব্যক্তি যদি আমার আইনগত উত্তরাধিকারীদের সম্মতি না নিয়ে ব্যাঙ্কের কাছে অর্থপ্রদান করেন, তাহলে তিনি উক্ত আমানতটি সময়ের আগে প্রত্যাহার করার অধিকারী। আমি আরও নিশ্চিত করছি যে নামিনীকে এই ধরনের আমানতের অর্থ প্রদান ব্যাঙ্কের দায়বদ্ধতার একটি বৈধ নিশ্কাশনের প্রতিনিধিত্ব করে। (ii) যে নামিনী মৃত আমানতকারীর বৈধ উত্তরাধিকারীদের ট্রাস্টি হিসাবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অর্থপ্রদান পাবেন এবং তাকে এই ধরনের অর্থপ্রদান আমার বৈধ উত্তরাধিকারীদের অধিকার বা দাবিকে প্রভাবিত করবে না, যা নামিনী, যাকে অর্থ প্রদান করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে যেতে পারে।

- h) All encashment or withdrawals of Term Deposit with repayment instruction as direct credit to the linked account can be executed at any Utkarsh Small Finance Bank branch.

লিঙ্কড খাতে মৈ প্রত্যক্ষ ক্রেডিট কে रूप में पुनर्भुगतान निर्देश के साथ सावधि जमा के सभी नकदीकरण या निकासी किसी भी उत्कर्ष लघु वित्त बैंक शाखा में निष्पादित की जा सकती हैं।

मैसादी आमानतेंतर समस्त नगदीकरण वा त्राहार करार निर्देश लिंक करा आकाउंटे सरासरी क्रेडिट हरे वा येकनैण्ड उंकर्ष मूल फाईन्यास ब्याङ्क शाखाय कार्यकर करा येते पाऐरे।

- i) An overdue term deposit or its portion may be renewed from the date of Maturity, provided the overdue period from the date of maturity till the date of renewal does not exceed 14 days. The rate of interest payable on the amount of the deposit so renewed shall be the appropriate rate of interest for the period of renewal as prevailing on the date of maturity. If the overdue period is more than 14 days and if the depositor places the entire amount of overdue deposit or at least the principal amount of deposit as a fresh term deposit, interest may be paid for the overdue period on the amount so placed as a fresh deposit at the rate decided by the Bank.

अतिदेय सावधि जमा वा उसके हिस्से को परिपक्वता की तारीख से नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्त परिपक्वता की तारीख से नवीकरण की तारीख तक अतिदेय अवधि 14 दिनों से अधिक न हो। इस प्रकार नवीनीकृत जमा राशि पर देय ब्याज की दर परिपक्वता की तारीख को प्रचलित नवीकरण की अवधि के लिए ब्याज की उपयुक्त दर होगी। यदि अतिदेय अवधि 14 दिनों से अधिक है और यदि जमाकर्ता अतिदेय जमा की पूरी राशि या कम से कम जमा की मूल राशि को नई सावधि जमा के रूप में रखता है, तो बैंक द्वारा तय की गई दर पर नई जमा के रूप में रखी गई राशि पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जा सकता है।

एकटि बिलिखत मैसादी आमानत वा एर अर्था मैसादीपुर्ति तारिख वा तार परेण पुनर्नीकरण करा येते पाऐरे, तबे मैसादी पुर्ति परे पुनर्नीकरण १८ दिनेर मधेहि करते हवे। ऐह प्रकार पुनर्नीकरण करा आमानतेर उपर पेस सुदेर हार पुनर्नीकरणेर समयकालेर जना परिपक्वतार तारिखे विदामान उप्पुक्त सुदेर हार हवे। यदि बिलेखेर समय १८ दिनेर बेशि ह्य एवंग यदि आमानतकारी बिलिखत आमानतेर पुरो परिमाण वा अन्तत आमानतेर मूल परिमाण नहुन डिपोजिट हिंसावे राखे, ताहले नहुन आमानत हिंसावे राखा परिमाणेर उपर अतिरिक्त समयेर जना सुन प्रदान करा येते पाऐरे ब्याङ्क कर्तु कर निश्चित हारा।

- j) The pre-mature withdrawal of deposit(s) will require consent and signature of all the depositor(s) irrespective of mode of operations (if all depositors are alive). जमा (ओं) की समय पूर्व निकासी के लिए सभी जमाकर्ताओं की सहमति और हस्ताक्षर (यदि सभी जमाकर्ता जीवित हैं) की आवश्यकता होगी, चाहे संचालन का तरीका कुछ भी हो। आमानत (গুলি) সময়ের পূর্বে প্রত্যাহার করার জন্য সমস্ত আমানতকারীর সম্মতি এবং স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে পরিতালনের ধরন নির্বিশেষে (যদি সমস্ত আমানতকারী জীবিত থাকে)।

- k) I/we have been informed about the applicable penal interest rate for premature withdrawal.

मुझे समय पूर्व निकासी के लिए लागू दंडात्मक ब्याज दर के बारे में सूचित किया गया है।

আমাকে/আমাদের সময়ের পূর্বে প্রত্যাহারের জন্য প্রযোজ্য পেনাল্টি সুদের হার সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

- l) Premature withdrawal of deposit will attract 1% Penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank or 1% less than the contracted rate whichever is lower.

जमा की समय पूर्व निकासी पर 1% जुर्माना लगाया यानी जिस अवधि के लिए जमा बैंक के पास रहा है उसके लिए जमा की तारीख को कार्ड दर से 1% कम, या अनुबंधित दर से 1% कम, जो भी कम हो।

আমানতের সময়ের পূর্বে প্রত্যাহারের উপর ১% জরিমানা ধার্য হবে অর্থাৎ আমানতের তারিখ অনুযায়ী কার্ডের হারের থেকে ১% কম হবে, যে সময়ের জন্য আমানত ব্যাঙ্ক জমা রেখেছে বা চুক্তিবদ্ধ হারের থেকে ১% কম, যেটি কম হবে।

- m) The calculation of interest is basis 365 days in a year for the deposit booked in a non-leap year and 366 days in a year for a deposit booked in a leap year.

ब्याज का परिकलन एक गैर-लीप वर्ष में बुक किए गए जमा के लिए एक वर्ष में 365 दिनों और लीप वर्ष में बुक किए गए जमा के लिए एक वर्ष में 366 दिनों के आधार पर किया जाता है।

সুদের গণনা একটি লীপ ইয়ার নয় এমন বছরে বুক করা আমানতের জন্য বছরে ৩৬৫ দিন এবং লিপ ইয়ারে বুক করা আমানতের জন্য বছরে ৩৬৬ দিন।

- n) Non-Callable FDs cannot be withdrawn before the maturity period. This means these deposits are completely locked and individuals or depositors do not have any authority to call or withdraw their FD investments before maturity.

गैर-प्रतिदेय एफडी को परिपक्वता अवधि से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जमा पूरी तरह से लॉक हैं और व्यक्तियों या जमाकर्ताओं के पास परिपक्वता से पहले अपने एफडी निवेश को कॉल करने या वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है।

और ब्याज के बिना 'सोत पर कर कटौती' (टीडीएस) शामिल है।

নন-কলেবল এফডিগুলি পরিপক্বতার আগে প্রত্যাহার করা যাবে না। এর অর্থ হলো এই আমানতগুলি সম্পূর্ণভাবে লক করা থাকে এবং ব্যক্তি অথবা আমানতকারী কোনও ক্ষমতা থাকে না পরিপক্বতার আগে এফডি বিনিয়োগগুলিকে কল করার বা প্রত্যাহার করার।

Tax deduction at source/ সোত পর কর কটৌতী/ উত্স থেকে কর কর্তন

- a) In case of renewed deposits, the new deposit amount consists of the original deposit amount plus interest less Tax Deducted at Source (TDS) if any, less compounding effect of TDS. For reinvestment deposit, the interest reinvested is post TDS recovery and hence the maturity amount for reinvestment deposits would vary to the extent of tax and compounding effect on tax for the period subsequent to deduction till maturity. If Deposit is opened under Monthly/Quarterly Interest Payment Mode, then the renewed deposit shall not comprise of the interest part.

নবীনীকৃত জমাগুলির ক্ষেত্রে মূল জমা রাশি এবং সুদের অর্থ আমানতের তারিখ অনুযায়ী কার্ডের হারের থেকে ১% কম হবে, যে সময়ের জন্য আমানত ব্যাঙ্ক জমা রেখেছে বা চুক্তিবদ্ধ হারের থেকে ১% কম, যেটি কম হবে।

নবীনীকৃত জমাগুলির ক্ষেত্রে মূল জমা রাশি এবং সুদের অর্থ আমানতের তারিখ অনুযায়ী কার্ডের হারের থেকে ১% কম হবে, যে সময়ের জন্য আমানত ব্যাঙ্ক জমা রেখেছে বা চুক্তিবদ্ধ হারের থেকে ১% কম, যেটি কম হবে।

পুনর্নিবেশ জমাগুলির ক্ষেত্রে, নতুন জমা রাশি মূল জমা রাশি এবং সুদের ওপর কর কর্তন (টিডিএস) না করে সুদ, যদি কিছু থাকে, টিডিএস-এর চক্রবৃদ্ধি প্রভাব কম করা হয়ে থাকে। পুনর্নিয়োগ আমানতের জন্য, পুনর্নিয়োগ করার সুদ টিডিএস পুনরুদ্ধারের পরে হয় আর এইজন্যই

পুনর্নিয়োগ করার জন্য পরিপক্বতার অর্থ কর্তনের পরে সময়ের জন্য করে উপর চক্রবৃদ্ধি প্রভাব কার্যকর হবে। যদি আমানত মালিক/ ক্রেমাসিক সুদ পরিশোধ ধরনের অধীন খোলা হয়, তাহলে পুনর্নিয়োগ আমানতে সুদের অংশ অন্তর্ভুক্ত হবে না।

- b) No deduction of tax shall be made for taxable interest in the case of individual resident in India, if such individual furnishes to the Bank, a declaration in writing in the prescribed form 15G/15H (as applicable, with PAN CARD details) to the effect that the tax on his/ her estimated total income for the year in which such interest income is to be included in computing his/her total income will be NIL. TDS rates will be as applicable from time to time as per the Income Tax Act, 1961 and Income Tax Rules (which are subject to change as per directives of Ministry of Finance, Govt. of India). If TDS is not to be deducted, please submit Income Tax Exemption letter along with this Form.

भारत में व्यक्तिगत निवासी के मामले में कर योग्य ब्याज के लिए कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति बैंक को निर्धारित फॉर्म 15 जी / 15 एच (जैसा कि लागू हो, पैन कार्ड विवरण के साथ) में लिखित में एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि उस वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शुल्क होगा जिसमें इसी ब्याज आय को उसकी कुल आय के परिकलन में शामिल किया जाना है। टीडीएस दरें आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियमों (जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं) के अनुसार समय-समय पर लागू होंगी। यदि टीडीएस नहीं काटा जाना है, तो कृपया इस फॉर्म के साथ आयकर छूट पत्र जमा करें।

ভারতে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে করযোগ্য সুদের জন্য কোনও কর কর্তন করা হবে না, যদি এই বরকম অ-ব্যক্তিিক ব্যক্তিক নির্দিষ্ট ফর্ম ১৫জি/ ১৫ইচ (যেমন প্রযোজ্য, প্যান কার্ডের বিবরণ সহ) স্বাক্ষর করে লিখিত রূপে ঘোষণা করে জানিয়েছে যে তার উপর সেই বছরের জন্য আনুমানিক মোট আয় যার মধ্যে এমন সুদের আয় যা তার মোট আয়ের অন্তর্গত গণনা করা হবে, শূন্য হবে। আয়কর আইন, ১৯৬১ এবং আয়কর বিধি (যা ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে) অনুসারে সময় সময়ে টিডিএস-এর হারগুলি প্রযোজ্য হবে। যদি টিডিএস কটে না হয়, দয়া করে এই ফর্মের সাথে আয়কর ছাড়পত্র জমা দিন।

- c) Form 15G/H is required to be submitted separately for each financial year.

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म 15 जी / एच अलग से जमा करना आवश्यक है।

ফর্ম ১৫জি/এইচ প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য আলাদাভাবে জমা দিতে হবে।

- d) The Bank shall not be liable for any consequences or loss arising due to delay or non-submission of form 15G/15H.

बैंक, फॉर्म 15जी /15एच के विलंब से जमा होने या गैर-जमा होने के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ফর্ম ১৫জি/১৫ইইচ দেরি করে বা জমা না দেওয়ার কারণে উদ্ভূত কোনো পরিণতি বা ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবেনা।

- e) As per section 139A(5A) of the income Tax Act, every person receiving any sum of income or amount from which tax has been deducted under the provision of income tax act shall provide his/her PAN number to the person responsible for deducting such tax. In case the PAN number is not provided the Bank shall not be liable for the non-availing of the credit of tax deducted at source.

आयकर अधिनियम की धारा 139 ए (5 ए) के अनुसार, आयकर अधिनियम के प्रावधान के तहत आय की ऐसी कोई भी राशि जिसमें से कर काटा गया है, प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, इस तरह की कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना पैन नंबर प्रदान करेगा। यदि पैन नंबर प्रदान नहीं किया जाता है तो बैंक सोत पर काटे गए कर के क्रेडिट का लाभ नहीं मिलने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

আয়কর আইনের ধারা ১৩৯এ(৫এ) অনুসারে, আয়কর আইনের বিধানের অধীনে প্রত্যেক বছরে সামগ্রিক মেসাদী আমানতের পরিমাণ (অর্জিত সুদ সহ) ₹৫,০০,০০০/-এর বেশি হলে ব্যাঙ্ক প্যান জমা দিতে হবে। যদি প্যান নম্বর প্রদান না করা হয় তাহলে কর কর্তনকৃত উৎসের ক্রেডিট না পাওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবেনা।

- f) PAN is required to be submitted to the Bank for Fixed deposit of ₹50,000/- or more.

₹50,000/- या उससे अधिक की सावधि जमा के लिए बैंक को पैन जमा करना आवश्यक है।

₹৫০,০০০/- বা তার বেশি টাকার স্থায়ী আমানতের জন্য ব্যাঙ্ক প্যান জমা দিতে হবে।

- g) PAN is required to be submitted to the Bank at a time of Term Deposit of amount exceeding ₹50,000 or once and/or the aggregate Term Deposit amount (including accrued interest) in a financial year exceeds ₹5,00,000/- with the Bank. In case, the PAN number is not provided to the Bank, the Bank shall not be liable for the non-availing of credit of Tax deducted at source and non-issuance of TDS certificate

₹50,000/- से अधिक की सावधि जमा के समय या एक बार और/वा किसी वित्तीय वर्ष में कुल सावधि जमा राशि (अर्जित ब्याज सहित) बैंक के पास ₹5,00,000/- से अधिक हो जाती है तो पैन बैंक में जमा करना आवश्यक है। यदि बैंक को पैन संख्या प्रदान नहीं की जाती है, तो सोत पर काटे गए कर का क्रेडिट ग्राहक को प्राप्त नहीं होगा और टीडीएस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

₹৫০,০০০/- বা একবারের বেশি মেসাদী আমানতের ক্ষেত্রে এবং/অথবা একটি আর্থিক বছরে সামগ্রিক মেসাদী আমানতের পরিমাণ (অর্জিত সুদ সহ) ₹৫,০০,০০০/-এর বেশি হলে ব্যাঙ্ক প্যান জমা দিতে হবে। যদি ব্যাঙ্ককে প্যান নম্বর প্রদান করা না হয়, তাহলে উৎসে কর্তনকৃত করে ক্রেডিট না পাওয়ার জন্য এবং টিডিএস শংসাপত্র জারি না করার জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবেনা।

- h) As per section 206 AA introduced by Finance (no.2) Act. 2009 w.e.f. 01.04.2010, every person who receive income on which TDS is deductible shall furnish his/her PAN falling which TDS shall be deducted as at the rate of 20% in case of domestic deposits "Please further note that the absence of PAN, form 15G/15H and other exemption certificate will be invalid even if submitted & penal TDS will be applicable."

वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 द्वारा निर्दिष्ट 01.04.2010 से शुरू की गई धारा 206 ए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर टीडीएस कटौती योग्य है, उसे अपना पैन प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर घरेलू जमाओं के मामले में 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। कृपया आगे ध्यान दें कि पैन की अनुपस्थिति में, फॉर्म 15जी और अन्य छूट प्रमाण पत्र अमान्य होंगे, भले ही वे जमा किया गए हों और दंडात्मक टीडीएस लागू होगा।

ফাইন্যান্স (নং ২) আইন ২০০৯ কার্যকরী ০১.০৪.২০১০, দ্বারা প্রবর্তিত ধারা ২০৬ এএ অনুসারে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে উপার্জন করেন তার উপর টিডিএস কাটা যায় তার প্যান জমা দিতে হবে বা ঘরেয়া আমানতের ক্ষেত্রে ২০% হারে টিডিএস কাটা হবে "দয়া করে আরও নোট করুন যে প্যানের অনুপস্থিতি, ফর্ম ১৫জি/ ১৫ইইচ এবং অন্যান্য ছাড়পত্র শংসাপত্র জমা দিলেও অবৈধ হবে এবং শাস্তিমূলক টিডিএস প্রযোজ্য হবে।"

- i) The above terms and conditions are subject to change as per regulatory guidelines issued from time to time.

उपयुक्त निर्बंधन और शर्तें समय-समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

উপরোক্ত শর্তাবলিগুলি সময়ে সময়ে জারি করা নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে।

- j) A new section 206AB introduced in the Finance Bill, 2021 w.e.f. 01.07.2021 for deduction of tax at source at higher rates i.e. 20% (for interest on deposit where prevailing TDS rate is 10%) if an amount is paid or payable to the specified person who did not file the income tax return for respective year as mentioned in said section.

01.07.2021 से वित्त विधेयक, 2021 में एक नई धारा 206बीए धारा की गई है जिसके अनुसार यदि उक्त धारा में उल्लिखित संबंधित वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले निदिष्ट व्यक्ति को राशि का भुगतान किया जाता है या देय है तो उच्च दरों अर्थात 20% (जमा पर ब्याज के लिए जहां प्रचलित टीडीएस दर 10% है) पर सोत पर कर की कटौती की जाएगी।

ফাইন্যান্স বিল ২০২১, ০১.০৭.২০২১ থেকে, একটি নতুন ধারা ২০৬বি প্রবর্তিত হয়েছে, উল্লেখিত বিভাগে উল্লেখ করা আছে, যে যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করা হয় অথবা প্রদেয় হয় যিনি সংশ্লিষ্ট বছরে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন নি তার উচ্চ হারে উত্স থেকে কর কর্তনের জন্য অর্থাৎ ২০% (আমানতের সুদের জন্য যেখানে বিদ্যমান টিডিএস-এর হার ১০%)।

- k) The extant TDS law requires tax to be deducted in case the projected interest exceeds threshold limit (₹50,000/- for senior citizens and ₹40,000/- for others). This threshold limit is to be calculated at the time of payment/credit of interest. Subsequently, in case the total interest falls below the threshold limit due to premature withdrawal of one or more FDs, the TDS deducted on

earlier occasions will not be refunded. The deposit holder can claim the credit for TDS while filing his/her income tax return.

वर्तमान टीडीएस कानून में अनुमानित व्याज सीमा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000/- और अन्य के लिए ₹40,000/-) से अधिक होने की स्थिति में कर कटौती की आवश्यकता होती है। इस सीमा की गणना व्याज के भुगतान/क्रेडिट के समय की जानी होती है। इसके बाद, यदि एक या एक से अधिक सावधि जमा की समय पूर्व निकासी के कारण कुल व्याज सीमा से नीचे चला जाता है, तो पहले के अवसरों पर काटा गया टीडीएस वापस नहीं किया जाएगा। जमा धारक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा कर सकता है।

বিদ্যমান টিডিএস আইনে প্রত্যাশিত সুদ শ্রেণীহোস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেলে কর কাটার প্রয়োজন (প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ₹৫০,০০০/- এবং অন্যদের জন্য ₹৪০,০০০/-)। এই শ্রেণীহোস্ত সীমাটি গণনা করতে হবে সুদের অর্থপ্রদান/ক্রেডিট করার সময়। পরবর্তীকালে, যদি এক বা একাধিক এফটি সময়ের পূর্বে প্রত্যাহারের কারণে মোট সুদ শ্রেণীহোস্ত সীমার নীচে চলে যায়, তবে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে কাটা টিডিএস ফেরত দেওয়া হবে না। আমানতকারী তার আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সময় টিডিএস-এর জন্য ক্রেডিট দাবি করতে পারেন।

Bank reserves the right to make any changes in terms and conditions mentioned & same will be updated in Banks website www.utkarsh.bank.

बैंक उल्लिखित नियमों एवं शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसे बैंक की वेबसाइट www.utkarsh.bank में अपडेट किया जाएगा।

ব্যাঙ্ক উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলীর যেকোনো পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.utkarsh.bank-এ আপডেট করা হবে।

G) DECLARATION:/घोषणा:/ঘোষণা:

I/We have read and understood the Terms and Conditions (mentioned overleaf) governing the opening of an account with UTKARSH SMALL FINANCE BANK and those relating to various services. I/We accept and agree to abide by the same, including those excluding/limiting the Bank's liability. I/We understand that the Bank may, at its absolute discretion, discontinue any of the services completely or partially after giving prior notice, I/We agree with the same.

मैंने/हमने उत्कर्ष लघु वित्त बैंक में खाता खोलने और विभिन्न सेवाओं से संबंधित नियमों एवं शर्तों (पीछे की ओर उल्लेख किए गए) को पढ़ा और समझा है। मैं/ हम इन शर्तों, जिनमें बैंक की देयता से मुक्त करने वाली या बैंक की देयता को सीमित करने वाली शर्तें भी शामिल हैं, को स्वीकार करते हैं और इनका पालन करने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। मैं/हम समझते हैं कि बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर पूर्व सूचना देने के बाद किसी भी सेवा को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर सकता है, हम इससे सहमति व्यक्त करते हैं।

আমি/আমরা উত্কর্ষ লঘু ফিনান্স ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি অ্যাকাউন্ট খোলার নিয়ম ও শর্তাবলী (অপার পৃষ্ঠায় উল্লেখিত) পড়েছি এবং বুঝেছি। আমি/আমরা স্বীকার করি এবং ব্যাঙ্কের দায়বদ্ধতা বাদ দেওয়া/সীমাবদ্ধ করা সহ এটি মেনে চলতে সহমত পোষন করি। আমি/আমরা বুঝি যে, ব্যাঙ্ক তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে, পূর্ব নোটিশ দেওয়ার পরে যেকোনও পরিষেবা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বন্ধ করে দিতে পারে, আমি/আমরা এর সাথে একমত।

Signature/ हस्ताक्षर/ স্বাক্ষর ১

Signature/ हस्ताक्षर/ স্বাক্ষর ২

Signature/ हस्ताक्षर/ স্বাক্ষর ৩

Signature/ हस्ताक्षर/ স্বাক্ষর ৪

(Branch need to verify the Customer Signature, Mode of Operation & put Signature Verification Stamp above)

(शाखा को ग्राहक के हस्ताक्षर, संचालन के तरीके को सत्यापित करने और वहाँ हस्ताक्षर करके सत्यापन मुहर लगाने की आवश्यकता है।)

(শাখার উচিত হবে গ্রাহকের স্বাক্ষর, পরিচালনা পদ্ধতি যাচাই করা এবং উপরে স্বাক্ষরকরণ সীলমোহর লাগানো।)

DECLARATION BY THE BRANCH/ शाखा द्वारा घोषणा/ শাখার ঘোষণা

I hereby certify that this account opening form is complete in all respects and relevant documents have been obtained and verified. The Account may please be set up in CBS.

मैं एतद्वारा द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस खाते खोलने के फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध है और प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त किए गए और सत्यापित किए गए हैं। कृपया सीबीएस में खाता बनाया जाए।

আমি এতদ্বারা প্রত্যায়িত করছি যে এই অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্মটি সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক নথিগুলি প্রাপ্ত এবং যাচাই করা হয়েছে। অ্যাকাউন্টটি দয়া করে সিবিএস-এ সেট আপ করা যেতে পারে।

Lead Generator Code

लीड जनरेटर कोड

লীড জেনারেটর কোড

Lead Converter Code

लीड कनवर्टर कोड

লীড কনভার্টার কোড

Branch Head / Authorised Signatory

शाखा प्रमुख/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

শাখা প্রধান / অনুমোদিত হস্তাক্ষরকারী

EIN

ईआईएन

ইআইএন

Value Date :

मूल्यन दिनांक:

ভালু তারিখ:

Branch Stamp

शाखा का स्टाम्प

শাখার স্ট্যাম্প

CUSTOMER ACKNOWLEDGEMENT/ ग्राहक की पावती/ গ্রাহকের প্রাপ্তি স্বীকার

Type of A/c*: Single ☐ Joint ☐ Fixed Deposit ☐ FD Plus ☐ TD Plus ☐ Tax Saver FD ☐ RD ☐ Others ☐ (pls. specify/कृपया निर्दिष्ट करें/অনুগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করুন)

खाते का प्रकार*: एकल संयुक्त सावधि जमा एफडी प्लस टीडी प्लस टैक्स सेवर एफडी आरडी अन्याय

অ্যাকাউন্টের ধরন*: একক যৌথ স্থায়ী আমানত এফডি প্লাস টিডি প্লাস ট্যাক্স সেভার এফডি আরডি অন্যান্য

Ref No.

संदर्भ सं.

রেফারেন্স নম্বর

Please quote this reference no. for any future communication

कृपया भविष्य के किसी भी संचार के लिए इस संदर्भ संख्या को उद्धृत करें

কৃত্য হবে ভবিষ্যতে কোনোরকম যোগাযোগ করার সময় এই রেফারেন্স নম্বরটি উদ্ধৃত করুন

Date:

दिनांक:

তারিখ:

Nomination taken : Yes ☐ No ☐

नामांकन लिया गया: हाँ नहीं

নিম্নোক্ত গ্রহণ করা হয়েছে: হ্যাঁ না

Signature of Bank Official along with Branch Stamp

शाखा स्टाम्प के साथ बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

ব্যাঙ্ক অধিকারিকের শাখার স্ট্যাম্প সহ স্বাক্ষর